

दो रुपये  
TWO RUPEES

50 पैसे 50 PAISE

पांच रुपये  
FIVE RUPEES

श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

RN/7-2/R/1201/94

श्रीमती लक्ष्मीबाई पति रामेश्वर मौर्य  
निवासी 19।2, मुराई मोहल्ला, इंदौर

मधुबाई पति राजेन्द्र वर्मा  
निवासी 24, पिपल्याराव, इंदौर

किंबद

- 1) कौटेलाल पिता कन्हैयालाल हार्डिया
  - 2) लक्ष्मीनारायण पिता कन्हैयालाल हार्डिया
- दोनों ही निवासी- 173, तार बावड़ी  
इंदौर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.सू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग इंदौर के न्याया, की  
के प्रकरण क्र. नि.146।93-94 में पारित आदेश दिनांक 30-9-91 तक  
से अस्तुष्ट होकर यह निगरानी प्रार्थिगण निम्न आधारों पर प्रस्तुत  
कर रहे हैं :-

निगरानी के आधार

- 1) यह कि, यदि आवेदन पत्र गलत धारा में गलत धारा का उल्लेख  
किया भी गया हो तो भी न्यायालय को आवेदन में किये गये कथन के  
आधार पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होने के कारण  
श्रीमान नायब तहसिलदार का तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश  
पूर्ण रूप से वैध होकर उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार  
श्रीमान अपर आयुक्त महोदय को नहीं था, इसके विपरीत प्रार्थी के  
किंबद निर्णय पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने गंभीर वैधानिक भूल  
का है।

*(Signature)*

2 पर

श्रीमती लक्ष्मीबाई पति रामेश्वर मौर्य  
निवासी 19।2, मुराई मोहल्ला, इंदौर

813  
21-11-57

N/7-2/R/1201/94

विषय: गलत धारा का प्रयोग

15/9/2015

१११८

आवेदक अभिभावक पूर्व पेशी से सूचना  
उपरोक्त अनुपस्थित। आज भी उपस्थित नहीं।  
आवेदक अभिभावक की अनुपस्थिति में  
प्रकरण कादम पेशी में खारिज किया  
जाता है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
अध्यक्ष